–आदेश पत्रिका–

RCT/801/2022
पुलिस देपालपुर वि. सददाम

09.03.2024

प्रकरण नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 54.. में मेरे समक्ष पेश।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त सहित श्री ए जी खान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है।

राजीनामा आवेदन पत्र पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी रवि द्वारा अभियुक्त सद्दाम से राजीनामा हो जाने के संबंध में राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320, 320(2) दं.प्र.सं. मय फोटोचित्र, हस्ताक्षर एवं पहचान पत्र के दिनांक 19.01.2024 को पेश किया गया है, जो अभिलेख पर संलग्न है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 294,323 एवं 506 भाग–02 के अंतर्गत अपराध का आरोप है।

चूंकि म.प्र. राजपत्र कमांक 361 भोपाल, दिनांक 07.07.2022 को किए गए संशोधन में धारा 320(2) दंप्रसं के अंतर्गत धारा 294 भादंवि को न्यायालय की अनुमति से शमनीय किया गया है।

फरियादी एवं आहतगण राजीनामा करने के लिए विधि रूप से सक्षम है। उभयपक्ष के संबंध मधुर बने रहें एवं समाज में शांति बने रहे इस हेतु फरियादी शमनीय अपराध भा.दं.सं. की धारा 294,323 एवं 506 भाग–02 के लिए अभियुक्त से राजीनामा करने हेतु स्वतंत्र हैं।

फरियादी एवं आहतगण की पहचान उनके पहचान पत्र से पूर्व पेशी दिनांक को सुनिश्चित की जा चुकी है।

फरियादी एवं आहतगण से पूछे जाने पर अभियुक्तगण से स्वेच्छया, भय–दवाब मुक्त होकर स्वस्थ्य–चित्त अवस्था में राजीनामा करना व्यक्त किया गया था।

धारा 323 एवं 506 भाग–02 भादंसं स्वमेव शमनीय है व धारा 294 का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोष–सिद्धि अभियोजित नहीं है। तदानुसार राजीनामा स्वेच्छया एवं विधिपूर्ण होने से जांच उपरांत राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1) व (2) द.प्रं.सं. पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के प्रभाव से अभियुक्तगण 01. **सद्दाम पिता इस्माईल पठान,आयु–21वर्ष,निवासी–वार्ड न08 नेहरू मार्ग देपालपुर जिला इंदौर** को भा.दं.सं. की धारा 323, 294 एवं 506 भाग–02 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि कोई जप्तशुदा माल हो तो उसका निराकरण विधि अनुसार किया जावे

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सुलहकर्ता सदस्य

(पीठासीन अधिकारी)
खण्डपीठ कमांक 54

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)